



## उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् (उत्तराखण्डसर्वकारः)

संस्कृतभवनम्, रानीपुरझाल, ज्वालापुर, हरिद्वारम्-249407 (उत्तराखण्डः)।



विज्ञापन सं० 05/संस्कृतग्राम/शोध/उ०सं०सं०/25-26,

दिनांक- 17.03.2026

### आदर्श संस्कृतग्राम परियोजना वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु आवश्यक सूचना (साक्षात्कार Walk in Interview)

उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् (उत्तराखण्ड सरकार) एवं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के संयुक्त तत्त्वावधान में प्रदेश की द्वितीय राजभाषा संस्कृत के प्रचार-प्रसार व संवर्धन के उद्देश्य से आदर्श संस्कृत ग्राम परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रत्येक आदर्श संस्कृत ग्राम में 01-01 योग्य एवं संस्कृत सम्भाषण में दक्ष संस्कृतग्राम प्रशिक्षक की नितान्त अस्थायी रूप में आवश्यकता है। प्रशिक्षक की योग्यता एवं प्रतिमाह मानदेय रु. 20,000/- आदि के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण विस्तृत सूचना एवं आवेदन पत्र प्रारूप संस्थान की वेबसाइट [www.uksa.uk.gov.in](http://www.uksa.uk.gov.in) में अंकित हैं।

अतः उक्तानुसार योग्य एवं इच्छुक प्रतिभागी मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार Walk in Interview) हेतु निर्धारित आवेदनपत्र, शैक्षणिक आत्मवृत्त (BIO DATA), आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति व 01 फोटो (पासपोर्ट साईज 3.5X4.5 से.मी.) सहित दिनांक 28.03.2026, शनिवार की प्रातः 10:00 बजे तक उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्, संस्कृतभवनम्, रानीपुरझाल, ज्वालापुर, हरिद्वार में स्वयं उपस्थित हो सकते हैं।

(डॉ. मनोज किशोर पन्त)  
सचिव

उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् (उत्तराखण्ड सरकार)

आदर्श संस्कृत ग्राम अवस्थापना एवं विस्तार परियोजना 2026-27 हेतु

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के आर्थिक सहयोग से संचालित)

13 आदर्श संस्कृत ग्राम में प्रशिक्षकों के निर्धारणार्थ

महत्वपूर्ण सूचना (मार्च 2026)

1. उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थान (उत्तराखण्ड सरकार) द्वारा प्रदेश की द्वितीय राजभाषा संस्कृत के प्रचार-प्रसार एवं राज्य में संस्कृतमय वातावरण निर्माण के उद्देश्य से आदर्श संस्कृत निर्माण एवं विस्तार परियोजना का संचालन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के आर्थिक सहयोग से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए किया जाना निर्धारित है।
2. उत्तराखण्ड शासन के संस्कृतशिक्षा अनुभाग के पत्रसंख्या-293178/XLII-1/2025-05(01)2010टी.सी., दिनांक 29.04.2025 के द्वारा प्रदेश के 13 जनपदों में आदर्श संस्कृतग्रामों की घोषणा की गयी है।
3. उत्तराखण्ड राज्य के 13 आदर्श संस्कृत ग्राम में संस्कृत सम्भाषण प्रशिक्षण व संस्कृतमय वातावरण निर्माण आदि कार्य हेतु योग्य एवं संस्कृत सम्भाषण में दक्ष नितान्त अस्थायी रूप में प्रत्येक आदर्श संस्कृत ग्राम में एक-एक प्रशिक्षक की आवश्यकता है।
4. उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थान, हरिद्वार में किसी भी परियोजना के संचालन हेतु कोई भी पद स्वीकृत नहीं हैं तथा न ही स्थायी नियुक्ति दी जाती है तथा न ही संस्थान में किसी भी प्रकार के प्रशिक्षक के पद सृजित हैं।
5. अतः निर्धारित प्रत्येक आदर्श संस्कृत ग्राम में संस्कृत सम्भाषण शिक्षण हेतु प्रशिक्षक की व्यवस्था नितान्त अस्थायी रूप से एक वर्षीय परियोजना (वित्तीय वर्ष 2026-27) के संचालन के लिए की जा रही है तथा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से अनुदान स्वीकृत होने पर उक्त परियोजना को पुनः अग्रिम वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है।
6. आदर्श संस्कृतग्राम में संस्कृत प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक एवं योग्य प्रतिभागी मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार Walk in Interview) हेतु संलग्न निर्धारित आवेदनपत्र, शैक्षणिक आत्मवृत्त (BIO DATA), मूल आधार कार्ड व स्वप्रमाणित छायाप्रति व 01 फोटो (पासपोर्ट साईज 3.5x4.5 से.मी.) सहित दिनांक 28.03.2026, शनिवार की प्रातः 10:00 बजे तक उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्, संस्कृतभवनम्, रानीपुरझाल, ज्वालापुर, हरिद्वार में स्वयं उपस्थित हो सकते हैं।
7. साक्षात्कार में प्रतिभागी के सफल घोषित होने के पश्चात् काउंसिल के समय आवेदन पत्र में उल्लिखित विवरणानुसार समस्त शैक्षिक अंकपत्र व प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति का 01 सैट मूल प्रमाण पत्रों के साथ मिलान कराते हुये उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित विवरणानुसार शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता सिद्ध न होने की स्थिति में सफल प्रतिभागी घोषित होने पर भी प्रशिक्षक निर्धारण प्रक्रिया के अन्तर्गत अनर्ह माना जायेगा।
8. आदर्श संस्कृत ग्रामों में संस्कृत प्रशिक्षक का मुख्य कार्य है- उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थान द्वारा निर्धारित समय व पाठ्यक्रम के अनुसार समस्त ग्रामवासियों को संस्कृत सम्भाषण सिखाना, संस्कृतमय वातावरण का निर्माण करना,

संस्कृत का प्रचार-प्रसार करना, भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना तथा नैतिक शिक्षा का अवबोध कराना आदि।  
उक्त हेतु प्रशिक्षक के द्वारा संस्कृत ग्राम में न्यूनातिन्यून 08 घण्टे कार्य किया जाना होगा।

9. प्रशिक्षक की योग्यता- प्रशिक्षक की न्यूनतम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता शास्त्री / बी.ए. संस्कृत विषय से उत्तीर्ण हो तथा संस्कृत सम्भाषण में अनिवार्य रूप से दक्ष व अध्यापन में कुशल होना चाहिए।
10. प्रतिभागी द्वारा किसी भी प्रकार का राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से अनुदान/ मानदेय/ वेतन प्राप्त न किया जा रहा हो। प्रतिभागी के साक्षात्कार में सफल घोषित होने के पश्चात् उक्त से सम्बन्ध में रु.10/- का शपथ पत्र देय होगा।
11. प्रतिभागी की आयु दिनांक 01.04.2026 तक 45 वर्ष से अधिक तथा 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
12. प्रतिभागी की उपर्युक्त योग्यता एवं संस्कृत सम्भाषण में दक्ष होने पर उसी संस्कृत ग्राम/ विकासखण्ड अथवा जनपद का स्थायी निवासी होने पर वरीयता प्रदान की जा सकती है तथा आवश्यक होने पर संस्थान प्रतिभागी को राज्य के किसी भी जनपद के संस्कृत ग्राम में प्रशिक्षण हेतु प्रेषित कर सकता है।
13. साक्षात्कार में प्रतिभागी से सम्भाषण दक्षता व व्याकरण, संस्कृतवाङ्मय एवं लेखन कौशल (हिन्दी संस्कृत अनुवाद) एवं उत्तराखण्ड के सामान्यज्ञान आदि से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा साक्षात्कार हेतु संस्कृतसम्भाषण दक्षता व व्याकरण 60 अंक, प्रशिक्षण कौशल 20 अंक, संस्कृतवाङ्मय 10 एवं प्रभाव 10 अंक निर्धारित हैं।
14. प्रतिभागी को साक्षात्कार में सम्भाषण दक्षता व व्याकरण के आधार पर साक्षात्कार समिति द्वारा समेकित रूप से प्रशिक्षक के रूप में सफल प्रतिभागी घोषित किया जायेगा। साक्षात्कार समिति का निर्णय सर्वमान्य एवं अन्तिम होगा।
15. साक्षात्कार में सफल प्रतिभागी को 11 माह 15 दिन का उक्त संस्कृत सम्भाषण आदि कार्य किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया जाना अनिवार्य होगा।
16. प्रत्येक आदर्श संस्कृत ग्राम के प्रशिक्षक हेतु प्रतिमाह रु.20,000/- (रूपये बीस हजार मात्र) मानदेय की व्यवस्था निर्धारित है, जो केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से प्राप्त होने पर ही प्रदान किया जायेगा।
17. प्रत्येक सफल प्रतिभागी को संस्कृतग्राम में प्रशिक्षण कराये जाने से पूर्व आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना। प्रशिक्षण की व्यवस्था संस्थान द्वारा की जायेगी।
18. आदर्श संस्कृत ग्रामों हेतु निर्धारित संस्कृत प्रशिक्षक को उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थान एवं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा समय-समय पर प्रेषित समस्त निर्देशों/ नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
19. आदर्श संस्कृत ग्रामों में संस्कृत सम्भाषण प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार एवं संस्कृतमय वातारण निर्माण के कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता, अनियमितता तथा ग्राम वासियों के साथ व्यवहार शून्यता व चारित्रिक न्यूनता आदि के होने पर सचिव उ.सं.संस्थान. द्वारा प्रशिक्षक को तत्काल शिक्षण व्यवस्था से निष्कासित किया जायेगा।
20. प्रत्येक जनपद के प्रशिक्षक की व्यवस्था नितान्त अस्थायी है। अतः भविष्य में किसी प्रकार के स्थायित्व के लिए किसी भी स्तर से बाध्य नहीं करेगा और न ही इस पर कोई विचार किया जायेगा।
21. उक्त महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश का लिंक संस्थान वेबसाईट- [www.uksa.uk.gov.in](http://www.uksa.uk.gov.in) से प्राप्त कर सकते हैं।

(प्रो. मनोज किशोर पन्त)

सचिव

**उत्तराखण्ड-संस्कृत-संस्थानम् (उत्तराखण्डसर्वकारः)**  
**आदर्शसंस्कृतग्राम-अवस्थापना-परियोजना 2026-27**  
 (केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, नवदेहली इत्यस्य आर्थिकसहयोगेन सञ्चालिता)

अत्र नूतनं  
छायाचित्रं संस्थाप्य  
स्वप्रमाणितं करोतु।

**प्रशिक्षक-निर्धारणार्थम् आवेदन पत्रम्**

- (1.) संस्कृतग्रामः.....जनपदनाम.....(यस्मिन् ग्रामे प्रशिक्षणकार्यं कर्तुमिच्छति)
- (2.) नाम.....(पुरुषः/महिला)
- (3.) जन्मतिथिः.....(01.04.2026 दिनाङ्कं यावद् आयुः वर्षाणि.....मासः.....दिनानि.....)
- (4.) पितुः नाम.....(5.) मातुः नाम.....
- (6.) पत्राचार-सङ्केतः.....  
 .....कूटसंख्या.....
- (7.) चलवाणी.....(8.) अणुवाक्(ई-मेल).....
- (9.) आधारसंख्या.....(प्रतिकृतिः संयोजनीया)
- (10.) स्थायि-पत्रसङ्केतः.....  
 .....कूटसंख्या.....
- (11.) राष्ट्रियता.....(12.) वैवाहिकस्थितिः.....

(13.) शैक्षिकयोग्यता-

कक्षा	उत्तीर्णतावर्षम्	अनुक्रमाङ्कः	परिषद्/विश्वविद्यालयः	पूर्णाङ्कः	प्राप्ताङ्कः	प्रतिशतं	श्रेणी
पू.म./हाईस्कूल							
उ.म./इण्टर							
शास्त्री/ बी.ए. संस्कृतम्							
अन्यत्							

(14.) संस्कृतसम्भाषणदक्षता प्रशिक्षणम्-

प्राप्तप्रशिक्षणस्य नाम	वर्षम् / मासः	संस्था नाम	अभ्युक्तिः

- (15.) अहं शपथं करोमि यत् उपर्युक्तं सम्पूर्णं विवरणं सत्यम् अस्ति। अहं संस्कृतसम्भाषणे संस्कृतसम्भाषणस्य प्रशिक्षणे च दक्षः अस्मि। अस्मिन् सन्दर्भे महत्त्वपूर्ण-दिशा-निर्देशान् सम्यक्तया पठितवान्/पठितवती, तत्र सर्वेषां नियमबिन्दूनां च अङ्गीकारः अस्ति। अहम् एतदपि जानामि यत् इयम् आदर्शसंस्कृतग्राम-विस्तारपरियोजना एकवर्षीया अस्ति, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य आर्थिकसहयोगेन च प्रचलति, हरिद्वारस्थे उत्तराखण्डसंस्कृतसंस्थाने एतन्नामकं पदम् अपि नास्ति। अतः अहं प्रशिक्षकरूपेण स्थायित्वविषये कदापि न्यायालये वादं न करिष्यामि।

दिनाङ्कः

प्रतिभागि-हस्ताक्षराणि